भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 860

दिनांक 26.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट हेतु प्रक्रिया

860. **श्री एम. के. राघवनः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत में डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट प्राप्त होने में बहुत देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है।

(घ) क्या कालीकट संसदीय क्षेत्र में कोई नया पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास विदेशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए कोई विशेष बीमा व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तहत कुल कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है; और

(च) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले श्रमिक शिविर चल रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले श्रमिक शिविरों के कारण किसी भारतीय की जान न जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क और ख) पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया का समय विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न होता है तथा किसी भी लंबित मामले को त्वरित कार्रवाई से निपटाया जाता है। आवेदक पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक औपचारिकतायें पूरा करने के लिए नामोदिष्ट डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) पर जाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पीओपीएसके में फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स और सहायक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैप्चर किए जाते हैं। सभी प्रकार से आवेदनों की पूर्णता सुनिश्चित करने के बाद, संबंधित

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार आवेदनों की आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद समयबद्ध तरीके से पासपोर्ट जारी किए जाते हैं और इसके बाद कारगर ढंग से आवेदकों को प्रदान किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सरल बनाया है। मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिससे पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल, उदार और सुलभ बनाया जा सके, इससे भारत के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने में लाभ हुआ है।

पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) उपयोगकर्ता के अनुकूल है, भारत में कहीं से भी और किसी भी समय कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। कोई भी आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इस नागरिक–अनुकूल पहल से आवेदक पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) के तहत इच्छित ऐसे पीएसके/ पीओपीएसके को चुनने में सक्षम हुए हैं, जहां वे अपना आवेदन जमा करना चाहते हैं, चाहे आवेदन पत्र में निर्दिष्ट वर्तमान आवासीय पता चयनित आरपीओ के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। नागरिक एमपासपोर्टसेवा मोबाइल ऐप पर पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तथा पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती है। एमपासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और अपॉइंटमेंट लेने में सक्षम बनाता है। यह पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें पीएसके/पीओपीएसके का स्थान, लागू शुल्क, आवेदन जमा करने का तौर– तरीका और स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन की स्थिति का पता लगाना शामिल है। मंत्रालय के एमपासपोर्ट पुलिस ऐप का उपयोग पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कागज रहित डिजिटल प्रक्रिया में आवेदकों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

इसके अलावा, डिजिलॉकर को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) प्रणाली के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे नागरिक पासपोर्ट सेवाओं के लिए अपेक्षित विभिन्न दस्तावेज़ों को कागजात रहित तरीके से डिजिलॉकर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट के शीघ्र जारी करने के लिए एक 'तत्काल योजना' है। सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत पुरुष से महिला या *इसके विलोमत:* लिंग परिवर्तन के बाद पासपोर्ट में नाम और लिंग परिवर्तन के उद्देश्य से जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र को स्वीकार करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं ।

(घ) केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोझीकोड के अंतर्गत कालीकट/कोझीकोड लोकसभा संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्यरत है।

(ङ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक योजना है जिसका उद्देश्य ईसीआर देशों में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करना है। पीबीबीवाई ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के कामगारों के लिए एक अनिवार्य बीमा प्रदान करती है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और दो साल के लिए 275 रुपये या तीन साल की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है। अगस्त, 2017 से प्रभावी संशोधित पीबीबीवाई योजना ईसीआर और ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट धारकों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और इसमें प्रवासी कामगारों के लाभ के लिए दावों के निपटान को सरल बनाया गया है। ईसीआर देशों में जाने वाले ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए पीबीबीवाई का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और यह भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ईसीएनआर पासपोर्ट धारकों को पीबीबीवाई सुविधा का लाभ उठाने के लिए ई–माइग्रेट पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। बीमा कंपनियों के लिए पीबीबीवाई पॉलिसी जारी करने के लिए ई–माइग्रेट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य आवश्यकता है। ई–माइग्रेट पोर्टल पीबीबीवाई पॉलिसी की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करता है। पीबीबीवाई अब निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है:

(i) नियोक्ता, कर्मचारी के स्थान और कार्य के स्थान में परिवर्तन के बावजूद वैश्विक कवरेज

(ii) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा दुर्घटना मृत्यु/स्थायी विकलांगता के प्रमाणीकरण को बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार करना; तथा

(iii) नामिती(यों) को बीमा पॉलिसी के ऑनलाइन नवीनीकरण और इसकी प्रति उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करना

बीमा कम्पनियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीबीबीवाई योजना के तहत नवम्बर, 2022 से मई, 2024 तक बीमा दावे के निपटान के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा 2,47,73,515/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(च) भारतीय दूतावास/कोंसलावास के संबंधित प्रतिनिधि स्थानीय अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के परामर्श से नियमित अंतराल पर श्रमिक शिविरों की यात्रा करते हैं। भारतीय दूतावास/ कोंसलावास के संबंधित प्रतिनिधि श्रमिक शिविरों में स्वास्थ्य जांच और वित्तीय जागरूकता सत्र भी आयोजित करते हैं। श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर नियोक्ताओं और श्रमिक शिविर सुविधा मालिकों/संचालकों के साथ लगातार चर्चा की जाती है। भारतीय दूतावास/ कोंसलावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर श्रम शिविरों में रहने की स्थितियों के संबंध में स्थानीय नियमों की सख्त निगरानी और कार्यान्वयन के लिए भी समन्वय करता है।

*****